<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2021 (निगरानी पंचायत)
GCMS No: 2021/1

अनवान

1. श्री ललित लौहार पुत्र चन्दनलाल लौहार, निवासी पाटूना चौक, लोहारवाड़ा, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती निर्मला देवी पत्नि चन्दुलाल जोगी, निवासी महावीर विद्या मन्दिर के पास, कृष्णघाट, ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री आशीष दोवड़िया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री अरूण जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994</u>
<u>विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव पट्टा जारी आदेश दिनांक 20.01.2004</u>
<u>(पट्टा संख्या 18031 मिसल संख्या 20/2001)</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक– 09-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे विपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.01.2004 को मिसल संख्या 20/2001 से आबादी भूमि का विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 18031 जारी किया गया। आबादी भूमि का पट्टा नीलामी के जरिये विक्रय किया जाता है, लेकिन कथित पट्टा विलेख को राशि 4000/– मे जारी करना बताया गया है और उक्त पट्टा राजस्व ग्राम धुलेव की आबादी भूमि आराजी संख्या 2391 रकबा 0.3500 हेक्टेयर पर कुल साईज 1650 वर्गफीट का जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये इतनी कम कीमत पर पट्टा जारी किया गया हैं, जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। भूमि की डी.एल.सी. दर भी पट्टे की आवंटन राशि से अधिक हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.01.2004 को पट्टा जारी किया जाना बताया है पट्टे पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं। तत्समय ग्राम पंचायत के सरपंच नानालाल अहारी के विधायक बन जाने से सरपंच पद रिक्त था और पट्टे मे सरपंच बनकर जो हस्ताक्षर किये गये है, वह राजकुमार तापड़िया ने किये है, जबकि वह उस समय उपसरपंच के पद पर था। चूंकि ग्राम पंचायत ऋषभदेव ग्रामीण क्षेत्र की आरक्षित पंचायत है, इसलिये वहां सरपंच अनुसूचित जनजाति के ही होने चाहिये। उपसरपंच को पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उक्त पट्टे का विधि अनुसार जिला परिषद से अनुमोदन भी नहीं लिया गया हैं। इस प्रकार पट्टा विधि विरूद्ध जारी होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी कथित पट्टा निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री अरूण जैन अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया एवं धारा 97(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं को जागरूक नागरिक होना बताया है। मामले मे निगरानीकर्ता का कोई हित निहित न होने से निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं हैं। धारा 97(3) मे वर्णित है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरण से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर , किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के 90 दिवस के भीतर भीतर ऐसे किसी आदेश का पुनरावलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश पारित किया गया हो। उपधारा (1) के परन्तुक और उपधारा (2) मे अन्तरविष्टि उपबन्ध इस धारा के अधीन की कार्यवाहियों पर लागू होते है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 20.01.2004 को आबादी विक्रय विलेख प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी 2021 मे प्रस्तुत की गई है एवं न ही धारा 5 का प्रार्थना पत्र निगरानी मे होने का कोई उल्लेख है। निगरानी मे सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। ऐसे मे सार्वजनिक आदेशों के विरूद्ध माननीय न्यायालय से दाद प्राप्त करनी हो तो उसमे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के प्रावधान लागू होते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

मामले मे ग्राम पंचायत से मूल पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण मे सीधे मूल निगरानी पर बहस हेतु अनुरोध करने पर बहस हेतु सुनवाई तिथि नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस हेतु निर्धारित तिथि को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षीया संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। मामले मे सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभय पक्ष की

बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस प्रांरभ करते हुए अनुरोध किया कि उनके द्वारा विपक्षीया संख्या 1 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय मे पेश कर रखी है, जिसमे विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे जारी कथित पट्टे को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही उसके द्वारा निगरानी इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी हैं, फिर भी निगरानी प्रस्तुत करने मे किसी प्रकार की देरी पायी जाती है तो न्यायहित मे विलम्ब की अवधि को कण्ड़ोन किया मेरिट पर प्रकरण को निर्णित किया जावे।

विपक्षीया संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोरान कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टेधारक के पक्ष मे 2004 मे पट्टा जारी किया गया ह एवं पट्टे का नियमानुसार शुल्क जमा किया गया हैं। निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे की जानकारी प्रांरभ से ही हैं। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी लगभग 17 वर्ष बाद मयाद बाहर पेश की गई है एवं विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मयाद के बिंदु पर खारिज की जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मयाद पर बहस सुनने एवं रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के लगभग 17 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गयी है एवं मयाद कंडोन किये जाने हेतु धारा 5, मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष को सुनने एवं दस्तावेज के अवलोकन उपरान्त मेरा यह मानना है कि मात्र विलम्ब के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाना उचित नही है। प्रकरण मे पट्टे के सही एवं नियमानुसार जारी होने अथवा न होने के बिन्दु को तय किया जाना हैं तथा पट्टा सही है अथवा नही, यह तथ्य मेरिट पर ही तय किया जा सकता हैं। न्यायहित में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन की जाकर मेरिट पर प्रकरण निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है।

प्रकरण मे मूल निगरानी पर बहस सुनी गई। मूल निगरानी पर निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ कर निगरानी मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे नियम विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करना, पट्टा डी.एल.सी. से भी कम दर पर राशि 4000/– मे दिया जाना, जिससे हानि होना, सरपंच के स्थान पर उपसरपंच द्वारा पट्टा जारी करना, क्षेत्राधिकारिता से परे पट्टा जारी होना, सरपंच सीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूचित जनजाति की होना, तत्कालीन अधिकारीयों एव कर्मचारियो की मिलीभगत होना आदि आधारों पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टे को विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त करने की मांग की एवं निवेदन किया कि ग्राम पंचायत उक्त साईज का पट्टा जारी नही कर सकती हैं एवं निगरानीकर्ता जागरूक नागरिक है एवं गलत कार्य को चैलेंज करना का उसका पूर्ण अधिकार हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावें एवं कथित पट्टा निरस्त किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने मूल निगरानी पर बहस मे भाग लेते हुए निगरानीकर्ता का हितबद्ध व्यक्ति न होना, निगरानी मयाद बाहर होना, आदेश 1 नियम 8 की पालना न होना अवगत कराया एवं निवेदन किया कि उसके पक्ष मे जारी पट्टे के कार्यालय रेकर्ड मे कांट–छांट की गई है। गांव के ही कन्हैयालाल के पट्टे की साईज को बढाने के लिये मेरे पट्टे के आकार को कम किया गया है। इसी न्यायालय के प्रकरण ऋषभकुमार बनाम कन्हैयालाल पत्रावली भी इसी प्रकार थी, जो राजीनामे से निर्णित हो गई। कथित पट्टा पूर्णतया विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे जारी किया गया है, जो पूर्णतया नियमानुसार होने से यथावत रखा जावें एवं निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

हमने निगरानीकर्ता के अधिवक्ता एवं विपक्षी सख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। ग्राम पंचायत ऋषभदेव से प्राप्त पत्रावली संख्या 20/2001 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षीया संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के समक्ष आवेदन करने पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा पट्टा संख्या 18031 दिनांक 20.01.2004 को जारी किया गया हैं। पत्रावली मे उपलब्ध मौका पर्चा रिपोर्ट, नजीर नक्शा एवं पट्टे की कार्यालय प्रति मे पट्टे की साईज मे कांट छांट की गई हैं। पट्टे मे क्रेता के हस्ताक्षर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर मौजुद हैं। पत्रावली मे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पट्टे के आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर/मार्किंग एवं पट्टे की कार्यालय प्रति पर सरपंच के हस्ताक्षर भिन्न–भिन्न हैं। ग्राम पंचायत की आदेशिका के प्रारंभ एवं अन्त मे भी सरपंच के हस्ताक्षर पृथक पृथक हैं। पत्रावली मे उपलब्ध नजरी नक्शा, आपत्ति पत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का पद उपसरपंच अंकित है एवं इसी हस्ताक्षर से विपक्षीया संख्या 1 के पक्ष मे पट्टा जारी किया जाना स्पष्ट हैं। सरपंच के स्थान पर उपसरपंच को ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर पट्टा जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं हैं। उपसरपंच के पास विधिक रूप से [illegible] का [illegible] हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नही है। क्षेत्राधिकारिता से परे [illegible] द्वारा विपक्षीया संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष मे जारी पट्टे को विधिमान्य नहीं माना जा सकता है एवं उक्त पट्टा प्रथम दृष्ट्या ही त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होने से निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

मामले मे यह भी कहना उचित होगा की ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टो को निरस्त करने हेतु अनेक निगरानीयां इस न्यायालय मे प्रस्तुत हो रही हैं एवं अधिकांश पट्टे नियम विरूद्ध, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जारी होना पाये जा रहे है, जो गंभीर जांच का विषय हैं। ऐसी स्थिति मे विकास अधिकारी, प.स. ऋषभदेव के स्तर पर दल गठित कर इस प्रकार जारी पट्टो की जांच किया जाना तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किया जाना उचित समझते हैं।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव, जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 20/2001 द्वारा विपक्षीया संख्या 1 श्रीमती निर्मला देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 18031 निरस्त किया जाता है एवं यदि विपक्षीया संख्या 1 पट्टे की पात्रता रखती हो तो नवीन सिरे से आवेदन कर जिस पर ग्राम पंचायत पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर अग्रिम कार्यवाही करें। साथ ही विकास अधिकारी, पचायत समिति, ऋषभदेव को निर्देश दिये जाते निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टो की नियमानुसार जांच करावें तथा विधि विरूद्ध पाये जाने वाले पट्टो को निरस्त करवाने तथा गलत पट्टे जारी करने वाले सरपंच/कार्मिको के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव को प्रेषित की जावे एवं ग्राम पंचायत ऋषभदेव को मूल पत्रावली संख्या 20/2001 मय निर्णय पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:57 IST
Reason: SelfAttested